सं० 3947/P
7/17

दिनांक 22.06.2017 को सचिव, पशुधन, मत्स्य एवं डेयरी भारत सरकार की अध्यक्षता में ''ब्लू रिवोल्युशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना'' की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :

सचिव, पशुधन, मत्स्य एवं डेयरी भारत सरकार श्री देवेन्द्र चौधरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव मत्स्य, उ0प्र0 शासन, मत्स्य विभाग के मण्डलीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों की एजेण्डा बिन्दु के अनुसार ब्लू रिवोल्युशन योजना की समीक्षा बैठक कृषि भवन स्थित सभाकक्ष में पूर्वान्ह 10:00 बजे से प्रारम्भ हुई जिसमें संलग्न विवरण के अनुसार अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के उपरान्त अपने सम्बोधन में सचिव महोदय द्वारा नीली क्रान्ति मिशन के उद्देश्यों एवं इसके संवेदनशीलतापूर्वक कार्यान्वयन की आवश्यकता बताते हुए मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्वि हेतु मिशन फिंगरलिंग पर बल दिया गया। इसके लिए 70 प्लस एमएम साइज के मत्स्य बीज संचय करने के साथ–साथ जलाशयों में केज कल्चर के माध्यम से मत्स्य उत्पादन बढाने पर बल दिया गया। इसके लिए मत्स्य बीज हैचरियों एवं नर्सरी क्षेत्रों के विकास की रणनीति पर कार्य करने की आवश्यकता के दृष्टिगत नीली क्रान्ति मिशन में इन्ही कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही प्रदेश का स्टेट एक्शन प्लान एक सप्ताह में तैयार कराये जाने की भी अपेक्षा की गयी। नीली क्रान्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु अन्तर्विभागीय योजनाओं /परियोजनाओं को कन्वर्जेन्स करते हुए उपलब्ध /सृजित जल संसाधानों का बेहतर उपयोग करने का निर्देश देते हुए मनरेगा के अन्तर्गत सुधारे गये तालाबों का मत्स्य नर्सरी के रूप में उपयोग करने हेतु प्रेरित करने के भी निर्देश दिये गये। उक्त सभी कार्यो की फोटोयुक्त जियो टैंगिंग से जोडने के निर्देश भी दिये गये, ताकि अनियमितता न हो पाये एवं कार्यो में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्नांकित निर्देश भी दिये गये :–

1– 70 एमएम साईज के मत्स्य बीज ही तालाबों, झीलों एवं जलाशयों में संचित किया जाय ताकि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्वि हो सके, इसके लिए प्रदेश में वर्ष 2016–17 में 10 एवं 2017–18 में 48 अतिरिक्त कुल 58 हैचरियों की स्थापना करायी जाये।(कार्य पूर्ण होने की समय सीमा मार्च, 2018 तक)

(कार्यवाही–निदेशक मत्स्य / संयुक्त निदेशक मत्स्य / प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम)

2– जलाशय में केज कल्चर और नम भूमि में मत्स्य नर्सरियों की स्थापना ब्लू रिवोल्युशन के अन्तर्गत करायी जाये एवं जो कार्य कराये जाये, उसकी फोटो जी0ओ0 टैगिंग के साथ लिया जाये। इसके साथ ही उनके द्वारा यह भी सुझाव दिये गये कि यदि केज कल्चर करना है, तो बुन्देलखण्ड में किया जा सकता है तथा यदि पॉण्डस कल्चर करना है तो पूर्वान्चल में किया जा सकता है। दोनो बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए स्टेट एक्शन प्लान को तैयार कराया जाय ताकि बेहतर परिणाम मिल सके। (कार्य पूर्ण होने की समय सीमा मार्च, 2018 तक)

(कार्यवाही–निदेशक मत्स्य / संयुक्त निदेशक मत्स्य / प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ)

3– जनपदीय अधिकारी एवं मण्डलीय अधिकारी अपने अपने मण्डल / जनपद के एक्शन प्लान एवं डी0पी0आर0 का फर्स्ट ड्राफट मुख्यालय को उपलब्ध कराकर जिलावार प्राप्त प्लान के आधार पर तैयार स्टेट एक्शन प्लान एक सप्ताह में एन0एफ0डी0बी0 को उपलब्ध कराया जाये।

(2) DD(P)

(कार्यवाही– समस्त क्षेत्रीय विभागीय अधिकारी)

14/7/2017

(एस० के० सिंह)
संयुक्त निदेशक मत्स्य

प० (सं० 02112)

12.7.2017

4– जनपद स्तर पर यथासंभव प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत मछुआ आवास बनाये जाने की व्यवस्था की जाये और इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाये। ब्लू रिवोल्युशन योजना हेतु भारत सरकार द्वारा अनन्तिम रूप से आवंटित केन्द्रीय फांट के सापेक्ष वेलफेयर मद में दुर्घटना बीमा योजना की बीमा प्रीमियम की धनराशि के भुगतान की व्यवस्था के उपरान्त मद में अवशेष धनराशि का उपयोग राज्य स्तर से मद निर्धारित करते हुए किया जाये। (कार्य पूर्ण होने की समय सीमा मार्च, 2018 तक)

(कार्यवाही–प्रशाकीय विभाग / संयुक्त निदेशक मत्स्य / संयुक्त / उप निबन्धक (सहकारिता)

5– मत्स्य पालकों के कौशल क्षमता विकास हेतु भारत सरकार की नेशनल स्किल डेवलपमेंट की कार्ययोजनान्तर्गत 1150 मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण की कार्ययोजना तैयार कराते हुए एन0एफ0डी0बी0 को उपलब्ध कराया जाये। इस सम्बंध में अतिरिक्त आवश्यकतानुसार ब्लू रिवोल्युशन की गाइड लाइन्स के अर्न्तगत निर्धारित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाये। (कार्य पूर्ण होने की समय सीमा मार्च, 2018 तक)

(कार्यवाही– निदेशक मत्स्य / सम्बंधित क्षेत्रीय विभागीय अधिकारी)

6–सामूहिक दुर्घटना बीमा को प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा / प्रधानमंत्री जनहित बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों की संख्या बढाई जाय। इस योजना में अभी तक 55 हजार व्यक्तियों का ही डाटा उपलब्ध हो सका है जबकि बैंक खातावार आईएफएससी कोड के साथ बीमित व्यक्तियों का विवरण फिशकोफेड को दिया जाना है,इस सम्बंध में प्रगति संतोषजनक नहीं है। इस पर विशेष बल दिया जाना आवश्यक है। (कार्य पूर्ण होने की समय सीमा सितम्बर, 2017 तक)

(कार्यवाही–संयुक्त / उप निदेशक(सहकारिता) / समस्त क्षेत्रीय विभागीय अधिकारी)

7– राज्य स्तर एवं जनपद स्तर पर रिसोर्स बेस्ड उपलब्ध फण्ड का ब्लू रिवोल्युशन योजना के कार्यान्वयन हेतु बेहतर उपयोग अधिक से अधिक किया जाये। (कार्य पूर्ण होने की समय सीमा मार्च, 2018 तक)

(कार्यवाही – निदेशक मत्स्य / संयुक्त निदेशक मत्स्य)

8– मनरेगा में निर्मित / सुधारे गये तालाबों में मत्स्य बीज उत्पादन हेतु उपयोग किया जाये और पंचायतीराज के स्वामित्व वाले बडे तालाबों में मत्स्य उत्पादन किया जाये। प्रमुख सचिव मत्स्य विभाग द्वारा अपर मुख्य सचिव,ग्राम्य विकास विभाग से वार्ता करके अवगत कराया जाय कि भविष्य में जो तालाब निर्मित किये जाये, उसमें मत्स्य विभाग की सलाह ली जाय ताकि उनका मत्स्य उत्पादन के प्रयोग में लाया जा सके। (कार्य पूर्ण होने की समय सीमा अक्टूबर, 2017 तक)

(कार्यवाही –ग्राम्य विकास विभाग / मत्स्य विभाग के निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारी)

9– रीसर्कुलेटी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर0ए0एस0) के माध्यम से इंटोसिव फिश फार्मिंग पर बल दिया जाये और बडे मेट्रो शहर के समीप वाले जनपदों में विशेष रूप से आर0ए0एस0 की स्थापना करायी जाय ताकि माग एवं आपूर्ति में संतुलन बना रहे। (कार्य पूर्ण होने की समय सीमा मार्च, 2018 तक)

(कार्यवाही–निदेशक मत्स्य / संयुक्त निदेशक मत्स्य / सम्बंधित क्षेत्रीय विभागीय अधिकारी)

10– प्रदेश में स्थापित मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के संचालन हेतु राज्य सरकार अपने स्तर से निर्णय ले। अतः इस सम्बंध में अभिकरणों में कार्यरत कार्मिकों के सम्बंध में केन्द्र सरकार से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार द्वारा मात्र योजना को समाप्त किया गया है। (कार्यपूर्ण होने की समय सीमा मार्च, 2018 तक)

(कार्यवाही– प्रशासकीय विभाग)

11– वृहत फिश फीड मिल की स्थापना के लिए उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम द्वारा भी भारत सरकार को तत्काल डी0पी0आर0 तैयार कराकर भेजा जाय, ताकि इस सम्बंध में अग्रेतर कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। (कार्य पूर्ण होने की समय सीमा केन्द्रांश निर्गत होने के 9 माह के अन्दर)

(कार्यवाही– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम)

– गूजरताल मत्स्य प्रक्षेत्र के क्षेत्र में निजी मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण करने हेतु कार्ययोजना बनाकर उसे सक्रिय किया जाये और जौनपुर जनपद और वाराणसी मण्डल के ब्लाकवार तालाबों की पूर्ण कार्ययोजना तैयार कराई जाये। (कार्य पूर्ण होने की समय सीमा अक्टूबर, 2017 तक)

(कार्यवाही– जनपदीय अधिकारी, जौनपुर/उ0नि0म0 वाराणसी)

13– आगरा अलीगढ मण्डल के उपयुक्त स्थल में वेन्नामई /प्रान कल्चर की संभावनाओं के दृष्टिगत परियोजना तैयार की जाये। इसकी कार्ययोजना तैयार कराकर इसको पायलेट आधार पर प्रस्तुत किया जाय। (कार्य पूर्ण होने की समय सीमा अक्टूबर, 2017 तक)

(कार्यवाही– उ0नि0म0आगरा/अलीगढ)

14– पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टीविटीज के अन्तर्गत आटो रिक्शा/मोटर साईकिल/ट्राईसाइकिल आदि को प्रधानमंत्री की ई–मुद्रा से फण्डिंग कराई जाये। (कार्य पूर्ण होने की समय सीमा मार्च, 2018 तक)

(कार्यवाही– निदेशक मत्स्य/संयुक्त निदेशक मत्स्य)

15– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कंवर्जेन्स करते हुए हैचरी/केज/नर्सरियों की स्थापना और बुन्देलखण्ड में आर्नामेंन्टल फिश के उत्पादन एवं उपयोग/बिक्री की व्यवस्था की जाय।(कार्य पूर्ण होने की समय सीमा मार्च, 2018तक)

(कार्यवाही– निदेशक मत्स्य/संयुक्त निदेशक मत्स्य/सम्बंधित क्षेत्रीय अधिकारी)

16– मत्स्य विभाग /उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम/मत्स्य जीवी सहकारी संघ के जलाशयों में केज कल्चर का कार्यान्वयन कराने के लिए वर्तमान नीति में संशोधन की आवश्यकता बतायी गयी, जिसके तहत केज कल्चर वाले श्रेणी–1 एवं 2 के जलाशयों की मत्स्य ठेका अवधि 3 से 5 वर्ष किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही जलाशयों के 5 प्रतिशत जलक्षेत्रों को विभागीय नियत्रंण में रखते हुए कुल 1 प्रतिशत जलक्षेत्र में केज कल्चर कराये जाने की कार्ययोजना बनाई जाये। (कार्य पूर्ण होने की समय सीमा अक्टूबर ,2017 तक)

(कार्यवाही– प्रशासकीय विभाग/निदेशक/संयुक्त निदेशक मत्स्य/ प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ)

17– प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग द्वारा बैठक में यह अवगत कराया गया कि उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम के अनेक तालाब 09 माह तक खाली रहतें है। अतः पी0पी0पी0 मोड पर मॉडल के रूप में कार्यवाही की जा सकती है। इस सम्बंध में सचिव,भारत सरकार द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया। (कार्य पूर्ण होने की समय सीमा अक्टूबर, 2017 तक)

(कार्यवाही– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम)

18– चिनहट, लखनऊ स्थित विभागीय परिसम्पत्तियों में से वर्तमान में एन0बी0एफ0सी0आर0 द्वारा विभागीय पुराने आवासीय परिसर की आवश्यकता का वर्तमान में औचित्य समाप्त हो गया है, जिसे विभागीय उपयोग में लाने हेतु इसे विभाग को वापस करानें का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय। बंकी मत्स्य प्रक्षेत्र पर निर्माणाधीन प्रॉन हैचरी के संचालन हेतु सी0आई0एफ0ई0 के निःशुल्क तकनीकी परामर्श एवं उसके टर्नकी आधार पर संचालित करने सम्बंधी आवश्यक तकनीकी सहयोग लिया जाये । इस हेतु आवश्यकतानुसार डी0 ए0डी0एफ0 स्तर से भी इस सम्बंध में आवश्यक निर्देश जारी कराये जा सकते हैं। (कार्य पूर्ण होने की समय सीमा मार्च, 2018 तक)

(कार्यवाही– प्रशासकीय विभाग/निदेशक मत्स्य/संयुक्त निदेशक मत्स्य)

अन्त में प्रमुख सचिव मत्स्य, उ0प्र0 शासन द्वारा सचिव, भारत सरकार एवं उपस्थित अधिकारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

उक्त कार्यवृत्त संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय से विचार विमर्श एवं उनके अवलोकन के उपरान्त दी गयी सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या–1198/सत्रह–म–2017–6–9(413)/2016

लखनऊ दिनांक: 13 जुलाई ,2017

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0,लखनऊ को इस आशय के साथ सूचनार्थ प्रेषित कि कृपया कार्यवृत्त में अपने से सम्बन्धित बिन्दु पर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

2– संयुक्त निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0,लखनऊ को इस आशय के साथ सूचनार्थ प्रेषित कि कृपया कार्यवृत्त में अपने से सम्बन्धित बिन्दु पर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

3– प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ को इस आशय के साथ सूचनार्थ प्रेषित कि कृपया कार्यवृत्त में अपने से सम्बन्धित बिन्दु पर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

4– निजी सचिव, सचिव, पशुधन, मत्स्य एवं डेयरी भारत सरकार नई दिल्ली।

5– निजी सचिव, प्रमुख सचिव मत्स्य, उ0प्र0 शासन।

6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजराज सिंह यादव)

विशेष सचिव।